

धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्तगण 1. कासिम 2.वाहिद निवासीगण मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा की कुल कीमत 15,82,000/- रु0(पन्द्रह लाख बयासी हजार रु0) की अवैध सम्पत्ति की गयी कुर्क

शासन द्वारा संगठित माफियाओं/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैंट गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैंट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 147/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण 1. कासिम पुत्र चावसिंह 2. वाहिद पुत्र जुमरत 3.अंसार पुत्र वाहिद 4. शाकिर पुत्र सहजू निवासीगण ग्राम मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा एक सुसंगठित अपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उनकी ख्याति को अपहानी पहुंचाने के आशय से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों द्वारा पहचान को प्रतिरूपण व फेसबुक प्रोफाइल से फोटो की चोरी करके दूसरी फर्जी आई0डी0 बनाकर चोरी किये गये फोटो को लगाकर छल द्वारा पैसा मांगना व पैसे प्राप्त करने हेतु बैंक में फर्जी तरिके से कुटरचित साक्ष्यों को असली के रूप में प्रयुक्त कर खाते को बैंक में खोलवाकर धन की प्राप्ति कर जीवन यापन का मुख्य आधार बना लिए थे। उक्त अभियुक्तगण की चल अचल सम्पत्ति के संबंध में जानकारी की गयी तो अभियुक्तगण 1. कासिम पुत्र चावसिंह व वाहिद पुत्र जुमरत निवासीगण मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन से अपने गाँव मड़ौरा में एक -एक मकान बनवाया गया था, जिसे गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत तहसीलदार गोवर्धन जनपद मथुरा राजकुमार भास्कर व उ0नि0 मो0 रिजवान थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना गोवर्धन मय फोर्स के साथ कल दिनांक 14.09.2022 को जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश वाद संख्या 1988/2022 , 1989/2022 के अनुपालन में अभियुक्त 1. कासिम पुत्र चावसिंह 2. वाहिद पुत्र जुमरत निवासीगण मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा द्वारा अवैध रूप से धन अर्जन कर निर्माण कराए गए मकान को कुर्क की गयी जिसकी अनुमानित कीमत 15,82,000/- रूपया (पंद्रह लाख बयासी हजार रु0) है।

अपराधी का नाम जिसकी सम्पत्ति जब्त की गयी है-

1. कासिम पुत्र चावसिंह निवासी मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा
2. वाहिद पुत्र जुमरत निवासी मड़ौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा

जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण

1. अभियुक्त कासिम उपरोक्त का 04 कमरों का पक्का मकान जिसकी कुल कीमत 11,26,000/-रु0 (ग्यारह लाख छब्बीस हजार)
 2. अभियुक्त वाहिद उपरोक्त का 02 कमरों का पक्का मकान जिसकी कुल कीमत 4,56,000/-रु0 (चार लाख छप्पन हजार)
- अनुमानित कुल कीमत 15,82,000/- रु0(पन्द्रह लाख बयासी हजार रु0)
3. जमीन की कीमत संकलित की जा रही है।

कासिम पुत्र चावसिंह उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 382/2021 धारा 379,419,420,465,467,468,469,471,120बी भादवि व 66बी,66सी,66डी, व 74 IT Act थाना कैंट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 418/2021 धारा 379,419,420,465,467,468,469,471,120बी भादवि व 66बी,66सी,66डी, व 74 IT Act थाना कैंट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 1159/2020 धारा 379,419,420,465,467,468,469,471,120बी भादवि व 66बी,66सी,66डी,74 व 66 IT Act थाना कैंट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 639/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कैंट गोरखपुर

वाहिद पुत्र जुमरत उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 382/2021 धारा 379,419,420,465,467,468,469,471,120बी भादवि व 66बी,66सी,66डी, व 74 IT Act थाना कैंट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 418/2021 धारा 379,419,420,465,467,468,469,471,120बी भादवि व 66बी,66सी,66डी, व 74 IT Act थाना कैंट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 1159/2020 धारा 379,419,420,465,467,468,469,471,120बी भादवि व 66बी,66सी,66डी,74 व 66 IT Act थाना कैंट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 639/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कैंट गोरखपुर